कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, सीकर

क्रमांकः–जिशिअ/माप्र/सी/संस्था–5/प्राशि अ0 समा./2017/ दिनांकः– 08.07.2017

–: पदस्थापन परामर्श (काउंसलिंग) सूचना :–

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेंर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–ा ए/सेटअप परिवर्तन/2016–2017 दिनांक 07.07.2017 के निर्देशों की अनुपालना में शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(2)शिक्षा–2/2003 जयपुर दिनांक 05.07.2017 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 6डी में चयनित अध्यापक लेवल I का समायोजन/पदस्थापन विकल्प के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में किया जाना है। इस हेतु सीकर जिले का परामर्श कैम्प निम्नांकित कार्यक्रमानुसार प्रातः 9.00 बजे से **रमसा कार्यालय (श्री राधाकृष्ण मारू राबाउमावि, परीसर सीकर) में आयोज्य है:–**

क्र सं.	लेवल–विषय	निर्धारित दिनांक	वि.वि.
1	अध्यापक लेवल–1	10.07.2017	

संबंधित आशार्थी (अध्यापक लेवल प्रथम) परामर्श तिथि को परामर्श कैम्प में प्रातः 9.00 बजें स्वयं उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करवायेगे। पंजीकरण का कार्य प्रातः 9.00 बजे से 10.00 बजे तक किया जायेगा, इसके पश्चात् विलम्ब से उपस्थित होने वाले आशार्थियो को वरीयता का लाभ देय नही होगा। परामर्श कैम्प मे अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित प्रदर्शित रिक्तियों मे से काउंसलिंग पश्चात् शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापन कर दिया जायेगा।

परिवेदना देने का समय काउंसलिंग तिथि को प्रातः 9.00 बजे से 10.00 बजे तक रहेगा। इसके बाद कोई भी परिवेदना स्वीकार नहीं की जावेगी।

परामर्श कैम्प हेतु लेवल प्रथम की वरीयता सूची एवं पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदो की विद्यालयवार सूची कार्यालय परामर्श स्थल तथा विभागीय वेबसाइट **rajrmsa**.nic.in पर सुविधा हेतु प्रदर्शित की गई है।

वरीयता सूची में अंकित कार्मिक निम्न दस्तावेज (मूल एवं छाया प्रति) अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हो:–

1. पहचान पत्र (आई.डी.)
2. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज
3. नियुक्ति आदेश
4. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/असाध्य रोग (कैंसर एवं ब्रेन ट्यूमर) होने की स्थिति में सक्षम चिकित्सक के प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति। विधवा की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र। परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय की डिक्री तथा पुर्नविवाह नही करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही वरीयता का लाभ देय होगा।

विशेष नोटः– उपरोक्त दस्तावेजो के अभाव में कार्मिक को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। काउंसलिंग परिसर में सिर्फ कार्मिक को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय सीकर, जिला शिक्षा प्रा0 शिक्षा प्रथम/द्वितीय, सीकर एवं समस्त बीईईओ तथा समस्त संस्था प्रधान सुनिश्चित करे कि सूची में वर्णित अभ्यर्थी उक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर परामर्श कैम्प मे उपस्थित हो।

(जगदीश प्रसाद शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, सीकर

www.rajteachers.com